लय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ीन अधिकारी:–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
ा नम्बर:–61/2018 प्रार्थना पत्र
ोहन पिता कजोड़ ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

---प्रार्थी

बनाम

नंदलाल पिता रामचन्द्र अठारिया, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
शंकरलाल पिता रामचन्द्र अठारिया, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
सम्पतलाल पिता रामचन्द्र अठारिया, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
शिवनारायण पिता रामचन्द्र अठारिया, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
मति रूकमण देवी बेवा रामचन्द्र अठारिया, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
सत्यनारायण पिता रामकरण ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
राधेश्याम पिता रामकरण ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
हरकलाल पिता मोहनलाल ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
गोपाल लाल पिता बंशीलाल ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
। शिवलाल पिता बंशीलाल ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
। कालूलाल पिता तेजसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा
। शंकरलाल पिता तेजसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा
जस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

---विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांक:–26.6.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व यम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पुर पटवार हल्का हसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 8925/4 रकबा 15 बिस्वा, 8925/8 10 बिस्वा, 8927/1 रकबा 15 बिस्वा, 8928 रकबा 6 बिस्वा, 8933/2 रकबा 19 बिस्वा, 8935 1 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 6रकबा 5 बीघा 03 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। ाण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 15.3.2018 को पंजीबद्व किया जाकर सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे ,पत्रावली किये गये। विपक्षीगण उपस्थित नही। विपक्षीगण संख्या 1 से 13 को कितनी ही मर्तबा आवाजें दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 26.6.2019 को एक कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया गया हैं।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में ल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के स्वीकार किया जाकर कि ग्राम पुर पटवार हल्का पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल जी नम्बर 8925/4 रकबा 15 बिस्वा, 8925/8 रकबा 10 बिस्वा, 8927/1 रकबा 15 बिस्वा, 8928 I 6 बिस्वा, 8933/2 रकबा 19 बिस्वा, 8935 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 6रकबा 5 बीघा बेस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, पुर को 550/–रूपये (पॉच सौ पचास रूपये) कमिश्नर फीस कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्राथी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये लदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 26.6.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner